Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 02 February - 2024

DOIs:10.2018/SS/202402001 --:-- Research Paper / Article / Review

21 वि सदी की भारत की विकास यात्रा मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का वर्णात्मक अध्ययन

डॉ. भावेश ए. प्रभाकर (Dr. Bhavesh A. Prabhakar),

स्वतंत्र शोधकर्ता, पीएच.डी, एस.डी. स्कूल ऑफ कॉमर्स, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद 380009, गुजरात, भारत।

डॉ. गुरुदत्त पी. जपी (Dr. Gurudutta P. Japee)

प्राध्यापक, एस.डी. स्कूल ऑफ कॉमर्स, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद 380009, गुजरात, भारत।

Email - bhaveshprabhakar211@gmail.com

अमूर्त : वर्तमान में यह जरुरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। नई शिक्षा नीति ने स्कूल शिक्षा को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, साक्षरता, संख्या-ज्ञान, ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना, सार्वभौमिक पहुंच, एकीकृत और आनंददायी पाठ्यक्रम, प्रायोगिक अधिगम, भाषा की शक्ति, और शिक्षाक्रमीय एकीकरण जैसे मुख्य दिशानिर्देश हैं। यह शिक्षा को समृद्ध, समावेशी, और समतामूलक बनाने का प्रयास है। नई शिक्षा नीति ने उच्चतर शिक्षा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रस्तुत किया है। इसने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों को पुनर्गठित करना, और छात्रों को सहयोग देने के लिए समृद्धि से भरपूर वातावरण बनाना। इससे नई शिक्षा नीति ने भारतीय उच्चतर शिक्षा को एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रदान किया है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा।

1. परिचय :

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह जरुरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोज़गार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत :

2.1. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना - शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।

2.2. शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
2.3. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्याज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना।
2.4. लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
2.5. अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, तोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजानिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।
2.6. भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना औ उससे प्रेरणा पाना।

3. शोध पद्धति :

यह शोध एक वर्णनात्मक अध्ययन है। इस शोध अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया हे, डेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से एकत्र किया गया हे।

3.1. अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
(A) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्णनात्मक अध्ययन करना।
(B) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत को समजना।
(C) नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं के बारे मे जानना।
(D) नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं के बारे मे जानना।

4. स्कूल शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं

यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

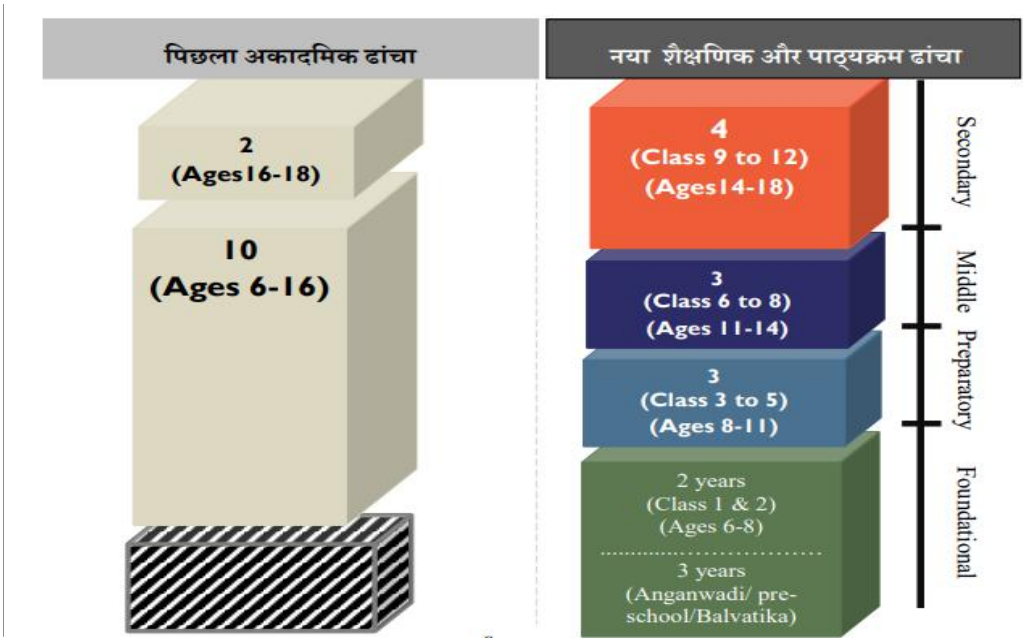

5+3+3+4 के नए डिजाईन में क्रमश:
(A) फाउंडेशनल स्टेज (दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी / प्री-स्कूल के 3 साल + प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित)

(B) प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित)
(C) मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित)
(D) सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।

स्कूल शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या(ज्ञानः सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त
- ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
- स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण (शास्त्र२ अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए
- विद्यार्थियों का समग्र विकास
- अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय(वस्तु को कम करना
- बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति
- अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ९एनसीएफएसई0
- शिक्षक
- समतामूलक और समावेशी शिक्षा२ सभी के लिए अधिगम

4.1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव

4.1.1. बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है।

4.1.2. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे।

4.1.3. ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल किया है।

4.1.4. एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा, अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3-8 साल के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा।

4.1.5. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतरगुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों / शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है की 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या "बालवाटिका" (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जायेगा जो खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होगा

4.2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञानः सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त

4.2.1. वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है- बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान भी नहीं सीखा है; अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है।

4.2.2. सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा (जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा-3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है)।

4.2.3. सर्वप्रथम, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा - यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम हो और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक – विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 25:1 से कम हो। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

4.2.4. द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या - ज्ञान पर उच्चतर-गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।

4.3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

4.3.1. स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। कक्षा छठी से आठवीं का जीईआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा, 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% है। यह आंकड़े यह दर्शातें हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में एनएसएसओ के 75वें राउंड हाऊसहोल्ड सर्वे के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना हे और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना हे।

4.3.2. कुल मिलाकर दो पहल की जाएँगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मज़दूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँगे।

4.3.3. दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे (क) स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं (ख) ड्रॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4.4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण - शास्त्र: अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए

5+3+3+4 के नए डिजाईन में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके।

4.4.1. फाउंडेशनल स्टेज में पांच वर्षीय लचीले, बहु-स्तरीय खेल / गतिविधि आधारित अध्ययन और ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र शामिल होंगे। प्रीप्रेटरी स्टेज तीन वर्ष की होगी जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल-खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण-शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के-फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जायेगा और इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमे पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हाई स्कूल (या सेकेंडरी) स्टेज में चार साल के बहु-विषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय-उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण - शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे।

4.5. विद्यार्थियों का समग्र विकास

सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानत्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवी शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ ख़ज़ाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा।

4.6. अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को कम करना

पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केन्द्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र, खोज - आधारित, चर्चा - आधारित और विश्लेषण-आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सकें। यह विषय-वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा; सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्म्क और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सकें।

4.7. बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है।

4.8. अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण

हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी ज़रूरी है। जेसेकी वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच; रचनात्मकता और नवीनता; सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना; मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद; स्वास्थ्य और पोषण; शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, सहयोग और टीम वर्क; समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन; व्यावसायिक एक्सपोज़र और कौशल; डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिंतन; नैतिकता और नैतिक तर्क, पर्यावरण संबंधी जागरूकता ओर भारतय ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है।

4.9. स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई)

स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद एनसीएफएसई दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा।

4.10. शिक्षक

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते है, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते है। अध्यापक- शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें, और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्ज़ा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है। शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के अवसर दिये जाएंगे।

4.11. समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम

शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें।

5. उच्चतर शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं :

5.1. गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण

5.1.1. उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। इक्कीसवी सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का ज़रूरी उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने

में सक्षम बनाती है, और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है।

5.1.2. सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचईआई ऐसे ही हो, जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों, और अधिक बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी / परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि; ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच।

5.2. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

5.2.1. उच्चतर शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई कलस्टरों/ नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण, विषयों की बीच उपजी खाईयों को पाटने, छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चहुमुंखी (कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और खेल) विकास करने में सक्षम, सक्रिय अनुसंधान समुदायों अन्तर- अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने, और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य, की कार्य कुशलता की बढ़ोत्तरी में मदद करेगी।

5.2.2. उच्चतर शिक्षा के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा / समझ की ज़रूरत होगी जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अर्थात एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहु-विषयक संस्थान, जो उच्चतर स्तरीय अधिगम (लर्निंग) के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध और समुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो कई तरह के संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे परंतु महत्वपूर्ण अनुसन्धान का संचालन करने वाले होंगे जैस शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर, एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज (एसी) उच्चतर शिक्षा के एक बड़े बहु-विषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है, और यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा।

5.3. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर

5.3.1. एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं- बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, जो कि भारत के इतिहास में सुन्दर ढंग से वर्णित की गई है - वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम इक्कीसवीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे आई. आई. टी, कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, कोशिश यही होगी की सभी व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को हासिल करें।

5.3.2. डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमे उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रूचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में 'शोध सहित' डिग्री भी दी जा सकती है।

5.3.3. उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी (a) ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय

वर्ष पूरी तरह से शोध पर केन्द्रित हो; (b) वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है; और (c) 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएच-डी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम.फिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा।

5.4. अंतर्राष्ट्रीयकरण

विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने, या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं। और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है । इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएँ, कैम्पस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा।

5.5. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

इस प्रयोजनार्थ, सभी सरकारों और संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा विशिष्ट अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैं:

एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण, उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर-संतुलन को बढ़ावा देना. विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना. उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएं, सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना, एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना, बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

5.6. नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना

यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना को प्रस्तावित करती है जिससे राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा । विशेष रूप से, एनआरएफ योग्यता - आधारित एवं पियर रिव्यु पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा । राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा जहाँ अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित ह। एनआरएफ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहु-विषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग और निजी / परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

5.7. शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना

नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र, उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोक पाएंगे। यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी । सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं संस्था पर लागू लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। एनएसी द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है, और एनएचईआरसी इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी।

परोपकार और जन हितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए, उनके प्रत्यायन के आधार पर, फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन के

दौरान इस फीस/शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की ये व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

6. सारांश :

भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने एक नए और सुधारित दृष्टिकोण के साथ शिक्षा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नीति ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव को मजबूत करने के साथ ही बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं को मध्यस्थ किया है। यह नई दिशा स्थापित करती है जिससे शिक्षा में सुधार हो सके और बच्चों को उचित शिक्षा की सुनिश्चितता मिले। नई शिक्षा नीति ने स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण को एकीकृत, आनंददायी, रुचिकर, और समग्र बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा दिया है। इससे छात्रों का समग्र विकास होने में मदद मिलेगी और उन्हें आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। नीति ने प्रायोगिक अधिगम को बढ़ावा देने, कोर्स चुनाव में लचीलेपन को महत्वपूर्ण बनाए रखने, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को समर्थन करने, और अनिवार्य विषयों, कौशलों, और क्षमताओं को शिक्षाक्रमीय एकीकरण के माध्यम से समझाया है। इस प्रकार, यह नीति स्कूल शिक्षा को सुधारने के लिए एक सकारात्मक और सुधारित मार्ग प्रशस्त करती है, जो छात्रों को सशक्त और समर्थ नागरिक बनाने की दिशा में है।

नई शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत किए गए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनों का एक सख्त और सूचनात्मक रूप में सारांश करने पर, हम देख सकते हैं कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय उच्चतर शिक्षा को सुधारित करके उसे गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय बनाना है। इसमें समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुनर्गठित करने, और छात्रों को सहयोग देने के लिए समृद्धि से भरपूर वातावरण बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम हैं। इसने एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ-साथ समृद्धि, सामरिक समावेश, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्चतम गुणवत्ता की दिशा में कदम से प्रेरित किया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादेमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सम्पूर्णता के साथ, नई शिक्षा नीति एक समृद्ध और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प करती है और इसे एक व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखने का प्रयास कर रही है। इस समर्थन में, नई शिक्षा नीति एक नए और सुधारित शिक्षा सिस्टम की दिशा में कदम से भारतीय शिक्षा को एक नया दौर प्रदान कर रही है।

संदर्भ :

1. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
2. http://www.education.nic.in/
3. https://www.india.gov.in/topics/education
4. https://aishe.gov.in/aishe/getAboutMHRDPage